रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3085] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941
No. 3085] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/ BHADRA 28, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3371(अ).—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) यथा संशोधित 2017 (2017 का 21) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसे इसके आगे 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2018-19' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के माध्यम से अनुसूची-I में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार विनिर्माण तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देता है।

2. इसके अलावा, मंत्रालय उपर्युक्त निर्देशों के संदर्भ में अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके नामितियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है । प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी संग्रहण नियमावली 2011 के साथ संलग्न फार्म-I नामक निर्धारित प्रपत्र में भर कर एक वचनबन्ध तत्काल अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करेगा ।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के साथ संलग्न फार्म-I नामक निर्धारित प्रपत्र में भरा गया गया वचनबन्ध सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रपत्र में सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे । इन कर्तव्यों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा । सांख्यिकी अधिकारी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वचनबन्ध को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा

उपरोक्त वचनबन्ध प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा।

4. उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग I में एकत्र किए गए आंकड़े, उचित सत्यापन और जांच के बाद, उप महानिदेशक, औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध, कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा तथा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग II में एकत्रित आंकड़ों को श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा। सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के प्रावधानों तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से उत्पादित डाटा से तैयार ईकाई स्तरीय आंकडे एवं रिपोर्टें मन्त्रालय के औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध तथा आंकडा संग्रहण एवं प्रसार प्रभाग और श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय के अन्तर्गत श्रम ब्यूरो की अभिरक्षा में रखे जाएं तथा उनके द्वारा सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार सरकार तथा सरकार के बाहर के प्रयोगकर्ताओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आम जनता के प्रयोग हेतु प्रसारित किया जाए।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2018-19 से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप, जैसे आंकडा संग्रहण, आंकडा प्रसंस्करण तथा प्रचार प्रसार में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे।

6. सांख्यिकीय अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं :

(क) सांख्यिकी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार आंकडा संग्रहण के लिए, व्यवसाय संबंधी रिकार्ड तथा अन्य रिकार्ड के आधार पर सूचनादाताओं द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा फैक्ट्री के स्वामी या अधिभोक्ता या फैक्ट्री के प्रभारी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान या प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा रिकार्ड रखा गया है वहां पर स्पष्टीकरण प्राप्त करनें के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकारप्रदत्त हैं। सांख्यिकी अधिकारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकारप्रदत्त हैं जो उनमें से किसी फैक्ट्री/प्रतिष्ठान से आंकडे एकत्र करना चाहता हो जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत न किया गया हो।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक सूचनादाता को आंकडा संग्रहण के उद्देश्य से निर्धारित फार्म में एक माह या जो भी अवधि उचित समझे, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं।

(ग) सांख्यिकी अधिकारी किसी भी सूचनादाता को वेबपोर्टल् के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए, जो उसके द्वारा सूचनादाता को जारी नोटिस में दर्शायी गई हो, इलेक्ट्रानिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदत्त है।

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2018-19 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचे जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कार्यकलाप, मरम्मत सेवाएं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

IndiaCode

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम,2008 यथा संशोधित 2017 के तहत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2018-19 पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस इकाई अथवा जिन इकाइयों के बारे में सूचना दी जानी है, उसका ब्यौरा और प्रपत्र तथा विधि जिसके अनुसार सूचना प्रदान की जानी अपेक्षित है, जिसमें इस उद्देश्य के लिए निरुपित तथा सूचनादाताओं के लिए नोटिस मे दर्शायी गई निश्चित तिथि तक उपलब्ध करवाए जाने वाले वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना प्रस्तुत करना भी शामिल है का उल्लेख होगा।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:

4. सूचनादाता कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों अथवा बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानो या निम्नलिखित में से किसी भी अधिनियम/बोर्ड/प्राधिकरण जैसे कंपनी अधिनियम 1956, दूकान तथा व्ययवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी एवं गामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्र) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं के मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी हैं, जिन्हे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा ।

5. सांख्यिकी अधिकारी उन दो अथवा अधिक इकाइयों या प्रतिष्ठानों जो एक ही प्रबन्धन के अधीन राज्य या संघीय क्षेत्र में चल रही हो जिनके बारे में प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है तो संबंधित प्रबन्धन के मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी व्यक्ति को नोटिस जारी कर समेकित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है ।

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अक्त्तूबर, 2019 से जून, 2020 के बीच होगी ।

संदर्भ अवधि

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2018 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के लेखा वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2018 और 31 मार्च, 2019 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी ।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. अपेक्षित सूचना परिसम्पत्तियों और देयताओं,प्राप्तियां, व्यय, निवेश की मदें (देशी अथवा आयातित), उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय, रोजगार तथा श्रम लागत, कार्य दिवस, कार्य किए गए श्रम दिवस, अनुपस्थितिता, श्रम टर्नओवर, कार्य किए गए श्रम घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा ।

सूचनादाता का दायित्व

10. कारखाना या प्रतिष्ठान अथवा प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, का मालिक या दखलदार संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा । वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा ।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबार रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टररोल, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य दस्तावेज की जांच कर सकता है ।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित निर्देशों के अनूसार इकाई के कारोबार रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलदार या प्रभारी व्यक्ति अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से ईकाई प्रांगण में स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1	श्री किशोर कुमार, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू तथा कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मकान सं. 34, सैक्टर-ए, एक्सटेंशन, सैनिक कालोनी, जम्मू -180011
2	श्री सुदर्शन कुमार मदान, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), एस.सी.एफ.-14, सैक्टर-64, फेज-10, एस.ए.एस. नगर मोहाली-160063
3	श्री दीपक गोयल, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,शिमला	हिमाचल प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), बोसवेल विला दीपक प्रोजेक्ट के निकट, पी.ओ. समर हिल, बालुगंज, शिमला - 171005
4	श्री बी॰एस॰ छाबरा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का (क्षे.स.प्र.), 6 वींमंनजल, केंद्रीय सदन, से. 9-ए, चंडीगढ़-160017
5	श्री सिद्धार्थ कुंडु , उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सांख्यिकी भवन, डी. ब्लाक, चौथातल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा,नजदीक कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली-110032

6	श्री घनश्याम पंजाबी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
7	श्रीमति पी॰ए॰ मिनी. उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू	कर्नाटक, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग,केन्द्रीय सदन,17 मेन- द्वितीय ब्लाक, कोरामंगला, बंगलूरू-560034
8	डा. एस. दुरई राजू, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु तथा पुडुचेरी (संघ क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 'बी'विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडास रोड,नंगमबक्कम, चेन्नई-600006
9	श्रीमति सुनीता भास्कर, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	केरल तथा लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), ब्लॉकबी., भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी, पीओ, त्रिवेन्द्रम-695522
10	श्री किरण कुमार रवुरी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, सी.जी.ओ कांम्पलेक्स,इंडस्ट्रियल एस्टेट, आटोनगर, विजयवाडा-520007
11	श्री डी॰ सतीश, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 293/7, पहली मंजिल, आर॰एंड बी॰कॉम्प्लेक्स, ए॰सी॰गार्ड्स, हैदराबाद-500004
12	श्री सी॰एस॰ मिश्रा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022
13	श्री राजेश कुमार, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सी-15, सेक्टर-1, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून-248001
14	श्री मनीष सम्मरवार, निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,जबलपुर	मध्य प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), जबलपुर विकास प्राधिकरण बिल्डिंग, पहली मंजिल, नागपुर रोड, मदनमहल, जबलपुर-482001
15	श्रीमती एन. संगीता, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मार्कण्डे काम्प्लेक्स, पहली मंजिल, गायत्री मंदिर रोड, कंकरबाग, पटना- 800020
16	श्री के पी मिश्रा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), वाणिज्यिक परिसर, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013
17	श्री चन्दन भद्रा, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ईविंग, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064
18	श्री एन. के. संतोषी, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीयकार्यालय,राँची	झारखंड	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), आत्माराम भवन, तीसरा तल, बंगला स्कूल लेन, महाबीर मंदिर के पीछे, मेन रोड, रांची-834001

IndiaCode

19	श्री सुशांत कुमार जना, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), दत्ता कुटीर, आकलैंड रोड, शिलांग-793001
20	श्री एम एम सिंह, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	नागालैंड तथा मणिपुर	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), थेगमेईबैंड लाउरुंग पुरेल लेकेई, इमाइमोईनूसाना सांगलेनपी.ओ., इम्फाल-795004
21	श्री जगत हजारिका संयुक्त निदेशक, आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी	सिक्किम	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), आंचलिक कार्यालय, तीसरातल, केंद्रीय ब्लॉक, हाउस फेड कॉम्प्लेक्स, बसीठा रोड, दिसपुर गुवाहाटी
22	श्रीमति सुप्रिया रॉय, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,मुम्बई	महाराष्ट्र	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथातल, ए-2/3 विंग, निकट कोंकण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614
23	श्री ओ॰एम॰ प्रभाकरन, उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) और दमन एवं द्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), अर्बन हेल्थ सेंटर के निकट, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरूषोत्तम नगर, नवा वेडास, अहमदाबाद-380013
24	श्री रोशनलाल साहू उपमहानिदेशक, क्षेत्रीयकार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ	रा.सा.का (क्षे.स.प्र.), भगत माता कर्मा, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, कमरा स. 8 से 25 , न्यू राजेंद्र नगर , रायपुर (छ. ग.) -492006

India Code

[फा. सं. एस.-11014/औ. सां./सां. सं. अधि./2017-18-क्षे. सं. प्र.]

रीना सिंह, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

S.O. 3371(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Annual Survey of Industries 2018-19', as per the details mentioned in the Schedule-I.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistical Office, New Delhi.

3. The persons authorized by each statistics officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorized persons in his safe custody and forward a

certificate of having obtained the above undertakings to the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistical Office, New Delhi.

4. The statistics collected in Part I of Annual Survey of Industries (ASI) schedule in respect of the ASI 2018-19 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Industrial Statistics Wing, Kolkata and the statistics collected in Part II of the ASI schedule thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau. Subject to the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011, the unit level data and the reports, generated from the data through statistical techniques, may be kept in custody and disseminated by the Industrial Statistics Wing and Data Storage and Dissemination Division of this Ministry and the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment to the users within and outside the Government, the States/UTs and the public at large as per policy guidelines of the Government.

5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to ASI 2018-19 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:

(a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify any information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from any owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, at the premises where such records are kept. A Statistics Officer is also empowered to depute/authorize officials under the administrative control of any State Government or Union territory Administration, which is willing to collect statistics from any of those factories/establishment for which the Statistics Officer has not deputed/authorized any official under his administrative control.

(b) A Statistics Officer is empowered to give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing return in the format, specified for the purpose of collection of statistics.

(c) A Statistics Officer is empowered to provide to any informant, the facility of furnishing return in electronic form through a web-portal for certain period, to be specified by him in the notice to be issued to the informant.

IndiaCode

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2018-19.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Annual Survey of Industries 2018-19 is conducted in the whole of India.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, including submission of information in electronic form through a web-portal designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The informants are owners or occupiers or persons in-charge, of factories registered under the Factories Act, 1948 or of establishments registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act,1966 or the units registered under any of the following Acts/Boards/Authority viz., Companies Act, 1956, Shops and Commercial Establishments Act, Societies Registration Act, Cooperative Societies Act, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Industries (District industries centre) who would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.

5. A Statistics Officer may require furnishing of consolidated information in respect of two or more factories or establishments under a single management operating within a State or Union territory, in case information is not separately available for individual factories or establishments, through a notice issued to the concerned owner or occupier or person in-charge of the management.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and would generally fall during October 2019 to June 2020.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2018 and ending on 31st March 2019 or for the Accounting Year of a unit ending on any date between 1st April 2018 and 31st March 2019.

Nature of information to be collected:

8. The information required relates to assets and liabilities, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by-products, distributive expenses, employment and labour cost, working days, man-days worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other document in support of the information furnished may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, or a person authorized by him of the unit.

SCHEDULE-II

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1	Sh. Kishore Kumar DDG, RO, Jammu	Jammu & Kashmir (UT)	NSO(FOD), H. No.-34, Sector -A, Ext. Sainik Colony, Jammu, Pin-180011
2	Sh. Sudarshan Kumar Madaan, DDG, RO, Mohali	Punjab	NSO (FOD), Building No. 418 Bulk Material Market, Sector 65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065.
3	Sh. Deepak Goyal, DDG, RO, Shimla	Himachal Pradesh	NSO (FOD), Bosewell Villa, Near Deepak Project, PO Summer Hill, Shimla-171005.
4	Sh. B.S. Chhabra DDG, RO, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSO(FOD) 6th floor, KendriyaSadan, Sec-9A, Chandigarh -160017
5	Sh. Siddhartha Kundu DDG, RO, Delhi	Delhi	NSO (FOD), Sankhyiki Bhawan, D-Block, 4th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Near Karkardooma Court, Delhi-110032.
6	Sh. Ghanshyam Punjabi DDG, RO, Jaipur	Rajasthan	NSO (FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020.
7	Smt. P.A.Mini DDG, RO, Bengaluru	Karnataka, Goa and Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSO (FOD), V Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2ndBlock, Koramangala, Bengaluru -560034.
8	Dr. S. Durai Raju DDG, RO, Chennai	Tamilnadu & Puducherry (UT)	NSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.

9	Smt. Sunitha Bhaskar DDG, RO, Thiruvananthapuram	Kerala & Lakshadweep (UT)	NSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Thiruvananthapuram -695522.
10	Sh. Kiran Kumar Ravuri DDG, RO, Vijayawada	Andhra Pradesh,	NSO (FOD), 5th floor, C.G.O. complex, Industrial estate, Autonagar, Vijayawada-520007.
11	Sh. D. Satish DDG, RO Hyderabad	Telangana	NSO (FOD), 293/7, 1st Floor, R&B Complex, A.C.Guards, Hyderabad-500004
12	Sh. C.S. Mishra DDG,RO, Lucknow	Uttar Pradesh	NSO Bhawan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
13	Sh. Rajesh Kumar DDG,RO, Dehradun	Uttarakhand	NSO (FOD), C-15, Sector-1, Defence Colony, Dehradun- 248001.
14	Sh.Manish Sammerwar Director, RO, Jabalpur	Madhya Pradesh	NSO(FOD), Jabalpur Development Auth. Building, 1st Floor, Nagpur Road, Madan Mahal, Jabalpur-482001.
15	Smt. N. Sangeetha DDG, RO, Patna	Bihar	NSO(FOD) Markanday Complex, 1st Floor, Gayatri Mandir Road, Kankar Bagh, Patna - 800020.
16	Sh. K.P. Mishra DDG, RO, Bhubaneswar	Odisha	NSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013.
17	Sh.Chandan Bhadra, DDG, RO, Kolkata	West Bengal	NSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, Sector-I, Bl.DF, Salt Lake, Kolkata-700064.
18	Sh. N. K. Santoshi, DDG, RO, Ranchi	Jharkhand	NSO (FOD), Atma Ram Bhawan, IIIrd Floor,Bangla School Lane, Behind Mahabir Temple, Main Road, Ranchi-834001
19	Sh. Susanta Kumar Jana DDG, RO,Shillong	Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura and Mizoram,	NSO (FOD), Dutta Kuthir, Oakland road, Shillong-793001.
20	Sh. M.M. Singh DDG, RO, Imphal	Nagaland and Manipur	NSO (FOD), Thangmeiband Lourung Purel Lekei, Imaemoinusanasanglen, P.O., Imphal-795001
21	Sh. Jagat Hazarika, Joint Director, ZO, Guwahati	Sikkim	NSO (FOD), Zonal office, 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006
22	Smt, Supriya Roy DDG, RO, Mumbai	Maharashtra	NSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
23	Sh. O. M. Prabhakaran DDG, RO, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli(UT) & Daman and Diu (UT)	NSO (FOD), Near Urban Health Centre, Behind Narayanpura Police Station, Purshotam Nagar, Nava Vadas, Ahmedabad-380013.
24	Sh. Roshan Lal Sahoo, DDG, RO, Raipur.	Chhattisgarh	NSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492006

[F. No. S-11014/IS/COSA/2017-18-FOD]

REENA SINGH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.21 10:23:31 +05'30'